



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण, 1946 (श०)

संख्या - 526 राँची, मंगलवार, 13 अगस्त, 2024 (ई०)

**गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।**

-----

संकल्प

10 अगस्त, 2024

**विषय:-W.P.(S) No.-582/2017-** अजय प्रसाद एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक- 25.08.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में गृह रक्षकों (स्वयंसेवकों) को पुलिसकर्मियों के समकक्ष दैनिक कर्तव्य पारिश्रमिक दिये जाने के संबंध में ।

**संख्या-07/ हो०गा०(स्था०)-05/2013-4596--** गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-1257, दिनांक-08.03.2019 द्वारा राज्य के गृहरक्षकों (ग्रामीण एवं शहरी) का दैनिक कर्तव्य भत्ता एवं प्रशिक्षण भत्ता ₹500 (पाँच सौ रुपये) मात्र किया गया था। वर्तमान में W.P.(S) No.- 582/2017- अजय प्रसाद एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक- 25.08.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में गृह रक्षकों (स्वयंसेवकों) को पुलिसकर्मियों के समकक्ष दैनिक कर्तव्य पारिश्रमिक दिये जाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था ।

2. राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी संगठन के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण गृह रक्षकों को पूर्व से देय दैनिक कर्तव्य भत्ता राशि ₹500 (पाँच सौ रुपये) मात्र के स्थान पर पुलिस कर्मियों के समकक्ष, दैनिक कर्तव्य भत्ता एवं प्रशिक्षण भत्ता को बढ़ाकर प्रति गृह रक्षक राशि ₹1088 (एक हजार अठठासी रुपये) मात्र प्रतिदिन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

3. उक्त आदेश संकल्प की निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

4. गृह रक्षकों (स्वयंसेवकों) के पारिश्रमिक के संबंध में पूर्व से निर्गत नियम/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

5. उक्त वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले व्यय का वहन शीर्ष "माँग स०-22-मुख्य शीर्ष-2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-लघु शीर्ष 107-होमगार्ड, ग्रामीण" के अन्तर्गत बजटीय उपबंध से किया जाएगा। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, महासमादेष्टा, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, राँची होंगे।

संदर्भित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**राधेश्याम प्रसाद,**  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

-----